<u>न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी</u> <u>जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण क.—262 / 12</u> संस्थापित दिनांक—17.07.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
.......अभियोजन
विरुद्ध

1— परमा पुत्र तिजुआ आदिवासी उम्र 54 साल
2— वलवीर पुत्र परमा आदिवासी उम्र 32 साल
3— राकेश वि० परमा आदिवासी उम्र 26 साल
निवासीगण— ग्राम विठला चंदेरी जिला अशोकनगर
......आरोपीगण

राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा :- श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता।

─ः <u>निर्णय</u> :─

(आज दिनांक 15.02.2017 को घोषित)

- 01. आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323/34, 190 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 10.06.2012 समय 19:00 बजे स्थान ग्राम वीठला लोकस्थान में आपने फरियादी चतरू को मां बहन की अश्लील गालिया देकर क्षोभ कारित किया तथा उसी समय सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं उसे लोक सेवक से संरक्षा प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमदी दी।
- **02.** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 20.01.2017 फरियादी एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्तगण **परमा, वलवीर, राकेश** को भा.द.वि की धारा 294, 323/34 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 03. अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी चतरू ने उधमिसह आदिवासी के साथ चौकी थूबोन में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि घटना दिनांक 10.06. 2012 से एक माह पूर्व उनके यहां शादी थी। शादी में गाँव के परमा, राकेश, वलवीर को नहीं बुलाया। इसी बात को लेकर आरोपीगण जब चाहे गाली गलौच करते रहते है। घटना दिनांक 10.06.2012 को करीब 7 बजे वह गाँव में था कि आरोपी परमा, राकेश, बलवीर उसे मिले। फरियादी चतरू को मां बहन की अश्लील गाली देने लगे, जब उसने गाली देने की मना कि तो तीनो आरोपीगण लाठी लेकर आ गये, राकेश ने

एक लाठी मारी बांये कंधे में लगी मुंदी चोट आई, एक लाठी वलवीर ने मारी दांये हाथ की कोहनी में लगी चोट लगकर खून निकल आया। परमा ने कमर में लाठी मारी मुंदी चोट आई। जब फरियादी भागा तो तीनो ने पकड़ लिया और बोले की अगर रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगे। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण द्वारा कण्डिका क्रमांक 01 में वर्णित आरोप को अस्वीकार किया गया तथा विचारण चाहा। अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर झुटा फसाया जाना व्यक्त किया एवं अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:—
 - 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 10.06.2012 समय 19:00 बजे ग्राम वीठला में फरियादी चतरू को लोक सेवक से संरक्षा प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी ?

<u>आधार एवं निष्कर्ष</u>

विचारणीय प्रश्न कं 01

06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी चतरू अ0सा0 01 द्वारा अपने कथन में व्यक्त किया गया कि वह अभियुक्तगण को जानता है। अभियुक्तगण को शादी में नहीं बुलाने को लेकर घटना दिनांक को आरोपीगण से साक्षी की गाली गलौच एवं धक्का मुक्की हो गई थी, जिसके संबंध में साक्षी द्वारा चौकी थूबोन में रिपोर्ट लेख कराई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से पूर्व कथनों से असंगत कथनों के संबंध में प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियुंक्तगण द्वारा रिपोर्ट करने पर जान से मार के कथन के सुझाव को अस्वीकार किया है। साक्षी ने राजीनामा हो जाने के कारण न्यायालय में झूठे कथन दिये जाने के सुझाव को अस्वीकार किया है। डॉ. एम.एल. खरका अ0सा02 ने उनके न्यायालयीन कथनो में बताया कि उनके द्वारा दिनांक 11.06.12 को चतरू पुत्र केशरिया आदिवासी का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें चतरू को साधारण प्रकार की चोटे एवं चोट क0 1 के लिये एक्सरे हेतु रैफर करना व्यक्त किया।

07— अभियोजन द्वारा आहत चतरू द्वारा किये गये राजीनामा एवं साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये अन्य साक्षी डॉ. एम.एल.खरका अ०सा०१ के कथन से अभियोजन कहानी को कोई समर्थन नहीं मिलता है। न्यायालय के समक्ष अन्य साक्षी परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये है अतः प्रकरण में किसी भी प्रत्यक्ष एवं विश्वसनीय साक्ष्य के आभाव में अभियोजन यह सन्देह से परे प्रमाणित करने मे असफल रहा है कि अभियुक्त परमा, बलवीर, राकेश द्वारा दिनांक 10.06.2012 समय 19:00 बजे ग्राम वीठला में फरियादी चतरू को लोक सेवक से संरक्षा प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी

- 08— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 190 भादसं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- **09** अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 10- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 11- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0